

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी स्वघोषणा पत्र

आवेदन प्रपत्र की कंडिका-10 के आलोक में।

(माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा)

मैं पिता/पति—....., आवेदिका—..... की
माता/पिता हूँ एवं ग्राम—.....प्रखण्ड थाना—
जिला—..... की निवासी हूँ।

1. मैं एवं मेरे पति आयकरदाता नहीं हैं।
2. मैं स्वयं अथवा मेरे पति केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

मैं स्व अभिप्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य सत्य अंकित किये गए हैं। किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊँगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

आवेदिका की माता/पिता का हस्ताक्षर।